

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०:- 6141313 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/41/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-505320)

श्री हरिओम शरण (अनुक्रमांक-216212), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्णिया सदर (पूर्णिया) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-2401 दिनांक-14.07.2025 द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के साथ निर्वाचन आयोग एवं उच्चाधिकारी के निदेश/आदेश की अवहेलना कर कार्य को बाधित करने संबंधित आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया ।

जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा श्री शरण के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय पत्रांक-4682178 दिनांक-07.10.2025 द्वारा श्री शरण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

उक्त पत्र के आलोक में श्री शरण द्वारा दिनांक-12.12.2025 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री शरण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5072568 दिनांक-16.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य की मांग की गयी । जिसके फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-2107/सी० दिनांक-07.07.2026 द्वारा मंतव्य प्राप्त है ।

श्री हरिओम शरण, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति- सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्णिया सदर (पूर्णिया) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र, उक्त आरोप पर श्री शरण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा श्री शरण के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ।

समीक्षापरांत पाया गया कि श्री हरिओम शरण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसकी वृहत जांच की आवश्यकता है । फलस्वरूप श्री शरण के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में श्री हरिओम शरण (अनुक्रमांक-216212), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्णिया सदर (पूर्णिया) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को निदेश दिया जाता है ।

एतद् द्वारा श्री हरिओम शरण को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

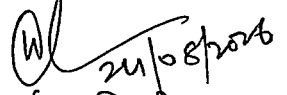

(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 6141313 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/41/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-505320)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

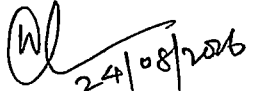
ज्ञापांक:- 6141313 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/41/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-505320)

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं पूर्णिया/उप विकास आयुक्त कटिहार एवं पूर्णिया/कोषांगार पदाधिकारी, कटिहार एवं पूर्णिया/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) श्री हरिओम शरण (अनुक्रमांक-216212), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार) सम्प्रति-कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्णिया सदर (पूर्णिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी को आरोप पत्र एवं संबंधित अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही तुरंत आरंभ कर दें तथा अपना प्रतिवेदन शीघ्र देंगे एवं कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक संलग्न कर अपना निष्कर्ष तीन प्रतियों में विभाग/सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

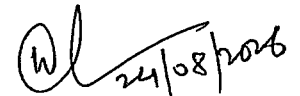
जिला पदाधिकारी, कटिहार को पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सरकार का पक्ष रखने हेतु वे जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए पत्र का तामिला कराकर विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होने का निदेश देंगे।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6141313 / पटना, दिनांक :- 25/08/2026

संचिका सं०- R-504/41/2025-Section-14-RDD-RDD(COM No-505320)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी